भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2684

9 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों हेतु कृषि उपकरण और मशीनरी की उपलब्धता

2684. श्री कुलदीप राय शर्माः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य पर छोटे कृषि उपकरण और मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए निधि के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय किसानों को चीन से आयातित पावर टिलर की खराब गुणवत्ता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे का हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पावर टिलर के टिकाऊपन का परीक्षण करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए मानदंडों को परिभाषित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि उपकरण और मशीनरी आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक आदान हैं। इनसे मानव श्रम और खेती की लागत में कमी होने के अलावा उत्पादकता में वृद्धि होती है। इनमें अन्य आदानों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने में भी सहायता मिलती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एण्डएफडब्ल्यू) ने वर्ष 2014-15 से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) नामक एक समर्पित योजना शुरू की है जिसके तहत जुताई, बुआई, रोपाई, फसल कटाई, पकाई, थ्रेशिंग, पौध संरक्षण, अंतर-फसलन

और अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एसएमएएम योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके 'पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंचना', 'कस्टम हायरिंग केंद्र' को बढ़ावा देना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाना, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना और पूरे देश में स्थित निर्धारित परीक्षण केंद्रों में कार्य निष्पादन की जांच और प्रमाणन सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2016-17, 2017-2018, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के दौरान एसएमएएम योजना के अंतर्गत कुल क्रमश: 151164, 269498, 385300, 124328 विभिन्न कृषि मशीनरियां वितरित की गई।

पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और स्वस्थाने फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु किसानों को राजसहायता प्राप्त मशीनरी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के दौरान 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सीआरएम) राज्यों में स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना' नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की विशेष योजना भी शुरू की गई है। योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 32831 विभिन्न कृषि मशीनरी वितरित की गई।

कृषि यंत्रीकरण घटक विभिन्न योजनाओं जैसे समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन (एनएमओओपी) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत भी उपलब्ध है।

एसएमएएम, सीआरएम, एमआईडीएच, एनएफएसएम और एनएमओओपी के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I, II, III, IV और V** पर संलग्न है।

आरकेवीवाई के तहत कृषि यंत्रीकरण से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और इन परियोजनाओं की लागत का राज्य-वार विवरण **अनुबंध VI** पर संलग्न है।

(ग) और (घ): पावर टिलर की निम्न गुणवत्ता की समस्या का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने आयातित पॉवर टिलर की गुणवत्ता और प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 2015 के दौरान पावर टिलर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा सिफारिश पावर टिलर के परीक्षण मानदंडों को कड़ा करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

I. विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों के लिए सीमा और सहायता को संशोधित किया गया और भारतीय मानक 13539: 2018 के तहत बदलाव को शामिल किया गया।

II. पावर टिलर के स्थायित्व का पता लगाने के लिए, पावर टिलर के विभिन्न महत्वपूर्ण घटकों की रासायनिक संरचना के लिए यंत्रणा परीक्षण और सामग्री परीक्षण शुरू किया गया और भारतीय मानक 13539: 2018 के तहत शामिल किया गया।

III. विभिन्न मृदा स्थितियों के तहत फील्ड परीक्षण शुरू किया और भारतीय मानक 13539: 2018 के तहत शामिल किया गया।

IV. भारतीय मानक 13539: 2018 के तहत पूरक परीक्षण को हटाया गया है।

V. मामूली कमियों की संख्या को पांच से घटाकर तीन कर दिया गया है और इसे भारतीय मानक 13539: 2018 के तहत शामिल किया गया है।

अनुबंध-I

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

कृषिगत उत्पादन प्रक्रियाओं के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम) के तहत आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार विवरण।

क्र.सं.	**राज्य**	**वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन के तहत निर्मुक्त/आवंटित निधियां (लाख रू. में)**
1.	आंध्र प्रदेश	34973
2.	अरुणाचल प्रदेश	1274
3.	असम	1670
4.	बिहार	4801
5.	छत्तीसगढ़	6919
6.	गुजरात	3666
7.	हरियाणा	11866
8.	हिमाचल प्रदेश	3306
9.	जम्मू और कश्मीर	1779
10.	झारखंड	1237
11.	कर्नाटक	23402
12.	केरल	2353
13.	मध्य प्रदेश	15344
14.	महाराष्ट्र	23092
15.	मणिपुर	3547
16.	मेघालय	376
17.	मिजोरम	1309
18.	नागालैंड	6476
19.	ओडिशा	18777
20.	पंजाब	10268
21.	राजस्थान	5311
22.	सिक्किम	566
23.	तमिलनाडु	26471
24.	तेलंगाना	3366
25.	त्रिपुरा	6163
26.	उत्तर प्रदेश	15625
27.	उत्तराखंड	7270
28.	पश्चिम बंगाल	3688
	कुल	244895

अनुबंध: II

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

कृषि यंत्रीकरण उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना' (सीआरएम) से संबंधित नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत आवंटित निधियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटित निधियां-** वर्ष 2018-19 से 2019-20 (लाख रू. में)
1	हरियाणा	31084
2	पंजाब	51738
3	उत्तर प्रदेश	24555
	कुल	107377

अनुबंध: III

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एमआईडीएच के तहत बागवानी के यंत्रीकरण के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटित निधियां -** वर्ष 2016-17 से 2018-19 (लाख रू. में)
1	अंडमान और निकोबार	16.8
2	आंध्र प्रदेश	1449.56
3	बिहार	23.55
4	छत्तीसगढ़	438
5	दमन और दीव	8.53
6	गुजरात	1784.19
7	हरियाणा	359.51
8	झारखंड	20.67
9	कर्नाटक	1512.15
10	केरल	1357.77
11	मध्य प्रदेश	1552.23
12	महाराष्ट्र	3276.32
13	ओडिशा	701.35
14	पंजाब	640.98
15	राजस्थान	89.48
16	तमिलनाडु	1052.55
17	तेलंगाना	535.85
18	उत्तर प्रदेश	392.07
19	पश्चिम बंगाल	321
20	अरुणाचल प्रदेश	374.5
21	असम	1408
22	मणिपुर	213.8
23	मेघालय	5.42
24	मिजोरम	512
25	नागालैंड	354.9
26	सिक्किम	243.75
27	त्रिपुरा	2033.25
28	हिमाचल प्रदेश	734.67
29	जम्मू और कश्मीर	2154.55
30	उत्तराखंड	869.1
	कुल	24436.5

अनुबंध :IV

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान एनएफएसएम के तहत विभिन्न मशीनरियों के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**आवंटित निधियां -** वर्ष 2015-16 से 2018-19 (लाख रू. में)
1	आंध्र प्रदेश	3320.477
2	अरुणाचल प्रदेश	134.200
3	असम	7871.220
4	बिहार	4083.965
5	छत्तीसगढ़	6085.803
6	गोवा	6.500
7	गुजरात	1092.244
8	हरियाणा	888.331
9	हिमाचल प्रदेश	603.296
10	जम्मू और कश्मीर	443.628
11	झारखंड	1422.295
12	कर्नाटक	5973.054
13	केरल	41.700
14	मध्य प्रदेश	12595.658
15	महाराष्ट्र	8706.364
16	मणिपुर	438.470
17	मेघालय	92.136
18	मिजोरम	25.950
19	नागालैंड	483.186
20	ओडिशा	3159.594
21	पंजाब	1378.112
22	राजस्थान	5872.826
23	सिक्किम	76.654
24	तमिलनाडु	2149.274
25	तेलंगाना	1370.043
26	त्रिपुरा	336.276
27	उत्तर प्रदेश	13547.920
28	उत्तराखंड	709.444
29	पश्चिम बंगाल	2413.742
	कुल	85322.362

अनुबंध : V

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

एनएमओओपी (2016-17 से 2018-19) के तहत कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिए आवंटित निधियों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	आवंटित निधियां - वर्ष 2016-17 से 2018-19 (रू. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	164.3
2	अरुणाचल प्रदेश	27.72
3	असम	1031.26
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	839.92
6	गुजरात	4576.82
7	जम्मू और कश्मीर	42.76
8	हरियाणा	604.34
9	झारखंड	243.96
10	कर्नाटक	1204
11	मध्य प्रदेश	7451.46
12	महाराष्ट्र	7400.36
13	मणिपुर	79
14	मेघालय	22
15	मिजोरम	5.04
16	नागालैंड	83
17	ओडिशा	26.2
18	राजस्थान	1800
19	सिक्किम	7.2
20	तमिलनाडु	485.1
21	तेलंग	300
22	उत्तर प्रदेश	2718.72
23	उत्तराखंड	45.66
24	पश्चिम बंगाल	3470
	कुल	32628.82

अनुबंध : VI

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 2684

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान आरकेवीवाई के तहत कृषि यंत्रीकरण में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या और इन परियोजनाओं की लागत।

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2014-15	22	28.09
		2015-16	10	34.23
		2016-17	6	50.35
		2017-18	2	155.08
		2018-19	1	60.52
2	अरुणाचल प्रदेश	2014-15	2	4.40
		2016-17	2	1.85
		2018-19	4	5.05
3	असम	2014-15	7	62.50
		2015-16	1	27.37
		2016-17	1	26.25
		2017-18	1	39.56
		2018-19	1	17.52
4	बिहार	2014-15	2	31.75
5	छत्तीसगढ़	2015-16	1	9.20
		2017-18	1	0.80
		2018-19	1	0.80
6	गोवा	2017-18	1	26.36
7	गुजरात	2014-15	1	281.04
8	हरियाणा	2014-15	2	22.75
		2016-17	1	20.86
		2017-18	3	69.92
9	हिमाचल प्रदेश	2015-16	1	1.75
		2016-17	1	3.00
		2017-18	1	1.50
		2018-19	1	1.60
10	जम्मू और कश्मीर	2014-15	9	3.58
11	झारखंड	2015-16	2	10.62
12	कर्नाटक	2014-15	3	72.68
		2015-16	3	146.05
		2016-17	1	65.00
		2017-18	3	2.16
		2018-19	1	19.10
13	केरल	2014-15	1	4.00
		2016-17	1	3.00
		2017-18	1	6.19
14	मध्य प्रदेश	2014-15	11	100.08
		2015-16	12	138.24
		2016-17	8	110.15
		2017-18	7	126.10
		2018-19	7	70.00
15	महाराष्ट्र	2016-17	4	333.00
		2017-18	2	115.00
		2018-19	2	300.00

16	मणिपुर	2014-15	3	0.94
17	मेघालय	2014-15	1	0.30
		2015-16	1	2.17
		2016-17	1	1.12
		2018-19	1	0.99
18	मिजोरम	2014-15	9	9.13
		2015-16	2	0.37
19	नागालैंड	2014-15	3	11.00
		2015-16	1	1.00
		2016-17	3	6.00
		2017-18	3	6.25
20	ओडिशा	2014-15	1	24.95
		2015-16	1	1.81
		2016-17	3	49.59
		2017-18	2	59.12
		2018-19	3	36.30
		2019-20	2	62.11
21	पंजाब	2014-15	2	43.72
22	राजस्थान	2014-15	1	0.87
23	तमिलनाडु	2014-15	6	57.68
		2015-16	7	60.36
		2016-17	2	88.16
		2017-18	7	61.64
		2018-19	4	42.60
24	तेलंगाना	2014-15	16	53.03
		2015-16	2	49.01
		2016-17	7	80.00
		2017-18	13	85.00
		2018-19	6	129.30
25	त्रिपुरा	2014-15	2	4.77
26	उत्तर प्रदेश	2014-15	2	55.95
		2015-16	4	118.82
		2016-17	5	104.07
		2017-18	2	15.43
		2018-19	3	23.68
27	उत्तराखंड	2014-15	2	29.22
		2015-16	1	2.31
28	पश्चिम बंगाल	2014-15	2	59.25
		2015-16	4	40.00
		2016-17	2	40.40
		2017-18	3	29.70
		2018-19	3	54.25
		कुल	303	4211.41

******